



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05042022-234848
CG-DL-E-05042022-234848

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262]
No. 262]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 2022/चैत्र 15, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 2022/CHAITRA 15, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 274(अ).— केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 245डक की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सातवां संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) भाग 9-क के पश्चात्, निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“भाग 9-कक विवाद समाधान समिति

44घकक विवाद समाधान समिति का गठन (1) केंद्रीय सरकार, अधिनियम के अध्याय 19-कक के अधीन यथा उपबंधित विवाद समाधान के लिए प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त के प्रत्येक क्षेत्र हेतु एक विवाद समाधान समिति का गठन करेगा।

(2) प्रत्येक विवाद समाधान समिति, निम्नानुसार तीन सदस्यों से मिलकर बनेगी :-

(क) दो सदस्य, भारतीय राजस्व सेवा (आय-कर) से सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे जिन्होंने आय-कर आयुक्त या कोई समतुल्य या उच्चतर पद, पांच वर्ष या अधिक अवधि के लिए धारण किया है ; और

(ख) बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रधान आय-कर आयुक्त या आय-कर आयुक्त से अन्यून पंक्ति का एक सेवारत अधिकारी ।

(3) सदस्य, केंद्रीय सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे ।

(4) केंद्रीय सरकार, प्रत्येक मामले के आधार पर किसी सदस्य को जो सेवानिवृत्त अधिकारी है, फीस के रूप में संदेय, बैठक की फीस सहित, बोर्ड द्वारा इस प्रकार विनिश्चित की गई कोई राशि नियत कर सकेगी ।

(5) विवाद समाधान समिति का विनिश्चय बहुमत के आधार पर होगा ।

(6) केंद्रीय सरकार, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से विवाद समाधान समिति के किसी सदस्य को हटा सकेगी ।

44घकख विवाद समाधान समिति के समक्ष विवाद समाधान के लिए आवेदन- (1) विवाद समाधान समिति को किसी व्यक्ति द्वारा कोई आवेदन जो विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने और उसके मामले में विनिर्दिष्ट आदेश में किसी फेर-फार से उद्भूत विवाद के संबंध में अधिनियम की धारा 245डक के अधीन विवाद समाधान के विकल्प का चयन करता है, प्ररूप सं० 34 खग में किया जाएगा ।

(2) विवाद समाधान के संबंध में प्रत्येक आवेदन के साथ एक हजार रुपये की फीस संलग्न की जाएगी।

44घकग अधिनियम के अधीन अधिरोप्य शास्ति में कटौती या छूट या अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करने या दोनों, की शक्ति- (1) विवाद समाधान समिति, ई- विवाद समाधान स्कीम, 2022 के पैरा 4 के उप-पैरा (1) के खंड (xix) के अनुसार सूचना की प्राप्ति पर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो कारणों को लेखबद्ध करते हुए अधिरोपित करना ठीक समझे, उस व्यक्ति को जिसने अधिनियम की धारा 245डक के अधीन विवाद समाधान के लिए आवेदन किया है, ऐसे आदेश के संबंध में जो समाधान का विषय है, अधिरोप्य शास्ति से छूट या अभियोजन से उन्मुक्ति या दोनों प्रदान कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने, --

(i) आय की विवरणी पर देय कर का पूर्ण संदाय कर दिया है, यदि उपलब्ध हो; और

(ii) विवाद समाधान समिति के साथ उसके समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग किया है ।

(2) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विवाद समाधान समिति द्वारा ऐसे मामले में कोई उन्मुक्ति नहीं दी जाएगी जहां ई-विवाद समाधान स्कीम, 2022 के पैरा 4 के उप-पैरा (1) के खंड (i) में यथानिर्दिष्ट किसी आवेदन की प्राप्ति की तारीख के पूर्व किसी अपराध के अभियोजन हेतु कार्यवाहियां प्रारंभ हो गई थीं।

(3) उप-नियम (1) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदान की गई उन्मुक्ति वापस ले ली जाएगी यदि ऐसा व्यक्ति शर्तों में से किसी का पालन करने में विफल रहता है जिसके अधीन उन्मुक्ति प्रदान की गई थी और उन पर अधिनियम के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी उन्मुक्ति या छूट कभी प्रदान ही नहीं की गई थी ।

44घकघ. परिभाषाएं –

इस उप-अध्याय के प्रयोजनों के लिए, -

(i) “विवाद समाधान समिति” से अधिनियम की धारा 245डक के अधीन गठित विवाद समाधान समिति अभिप्रेत है;

(ii) “विनिर्दिष्ट आदेश” से अधिनियम की धारा 245डक के अधीन किसी विवाद के संबंध में निम्नलिखित अभिप्रेत है :-

(क) अधिनियम की धारा 144 की उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट कोई आदेश प्रारूप;

(ख) अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (1) या अधिनियम की धारा 200क की उपधारा (1) या अधिनियम

की धारा 206गख की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना जहां निर्धारिती या कटौतीकर्ता या संग्रहणकर्ता उक्त आदेश में किए गए समायोजन पर आक्षेप करता है;

(ग) विवाद समाधान पैनल के निदेशों के अनुसरण में पारित किसी आदेश के सिवाए, निर्धारण या पुनर्निर्धारण का कोई आदेश;

(घ) अधिनियम की धारा 154 के अधीन किया गया कोई आदेश जो निर्धारण में वृद्धि या हानि कटौती का प्रभाव रखने वाला हो; या

(ड.) अधिनियम की धारा 201 के अधीन किए गए किसी आदेश या अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा (6क) के अधीन कोई आदेश जिसके संबंध में निम्नलिखित शर्तें पूरी हैं, अर्थात् :-

(अ) ऐसे आदेश में प्रस्तावित या किए गए फेर-फार की कुल राशि दस लाख रुपए से अनधिक हो;

(आ) ऐसे आदेश के सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा विवरणी प्रस्तुत कर दी गई है और ऐसी विवरणी के अनुसार कुल आय पचास लाख रुपये से अनधिक है; और

(इ) किसी निर्धारिती की दशा में आदेश निम्नलिखित पर आधारित नहीं है, -

(I) अधिनियम की धारा 132 के अधीन प्रारंभ की गई तलाशी या निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति की दशा में अधिनियम की धारा 132क के अधीन की गई अध्यपेक्षा; या

(II) अधिनियम की धारा 133क के अधीन किया गया सर्वेक्षण;

(III) अधिनियम की धारा 90 या 90क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन प्राप्त सूचना।

स्पष्टीकरण: उप नियम (ii) के खंड (ड.) के प्रयोजनों के लिए स्रोत पर कर संग्रहण या कटौती में चूक के संबंध में विनिर्दिष्ट आदेश में फेर-फार अधिनियम के अनुसार ऐसी रकम निर्दिष्ट होगी जिस पर अधिनियम के अनुसार कर की कटौती नहीं की गई है या संगृहीत नहीं किया गया है।

(iii) किसी व्यक्ति के संबंध में “विनिर्दिष्ट शर्त” से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 245डक के अधीन विवाद समाधान का विकल्प चुनता है, जिसके संबंध में:-

(अ) अधिनियम की धारा 245डक के स्पष्टीकरण के खंड (क) के उपखंड (I) में उल्लिखित शर्तें पूरी हैं;

(आ) काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) के अधीन उस निर्धारण वर्ष के लिए कार्यवाहियां प्रारंभ नहीं की गई हैं जिसके लिए विवाद समाधान ईप्सित है;

(iv) अधिनियम की धारा 245डक के प्रयोजनों के लिए “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” ऐसा व्यक्ति होगा जो विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी करता है।

3. मूल नियमों में, परिशिष्ट-2 में, प्ररूप 34खख के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप सं.34खग

(नियम 44घकख देखें)

(ई-प्ररूप)

विवाद समाधान समिति को आवेदन

व्यक्तिगत जानकारी	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम या अस्तित्व का नाम		स्थायी खाता सं. या आधार सं.
					सं.
					टैन (यदि उपलब्ध हो)
	फ्लैट/मकान/ब्लाक सं.		परिसर/भवन/गांव का नाम		सड़क/गली/डाक घर
	क्षेत्र/स्थानीय		नगर/शहर/जिला		राज्य (चयन करें)
	देश	पिन कोड	एसटीडी कोड	ई-मेल पता	

	(चयन करें)		सहित फोन न./मोबाइल सं.		
आदेश जिसके विरुद्ध आवेदन किया है	1	निर्धारण वर्ष, जिसके संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है/वित्तीय वर्ष प्रविष्ट करें, यदि किसी आदेश के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत किया गया है जहां निर्धारण वर्ष सुसंगत नहीं है।		निर्धारण वर्ष वित्तीय वर्ष	
	2	विनिर्दिष्ट आदेश के ब्यौरे, जिसके विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत किया है			
		क	आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा और उपधारा		
		ख	आदेश की तारीख		
		ग	आदेश/डिमांड नोटिस के तामील की तारीख		
	3	विनिर्दिष्ट आदेश पारित करने वाला आय-कर प्राधिकारी			
आवेदन के ब्यौरे	4	क	निर्धारित आय-कर की रकम (रुपए में)		
		ख	आय में कुल परिवर्धन (रुपए में)		
		ग	हानि की दशा में, निर्धारण में कुल अस्वीकृत हानि (रुपए में)		
		घ	आवेदन में विवादित अस्वीकृत हानि/परिवर्धन की रकम (रुपए में)		
		ड.	विवादित डिमांड की रकम (रुपए में) – हानि की दशा में कुछ नहीं प्रविष्ट करें		
लंबित आवेदन	5	क्या किसी निर्धारण वर्ष/वित्तीय वर्ष के संबंध में निर्धारिती की दशा में किसी विवाद समाधान समिति के पास कोई आवेदन लंबित है			हां/नहीं
	5.1	यदि 5 का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित ब्यौरें दें			
		क	विवाद समाधान समिति जिसके पास आवेदन लंबित है		
		ख	आवेदन संख्यांक और आवेदन फाइल करने की तारीख		
		ग	निर्धारण वर्ष/वित्तीय वर्ष जिसके संबंध में कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया है		
		घ	विनिर्दिष्ट आदेश पारित करने वाला आय-कर प्राधिकारी		
		ड.	अधिनियम की धारा और उप धारा जिसके अधीन विनिर्दिष्ट आदेश पारित किया गया है।		
		च	ऐसे आदेश की तारीख		
संदत्त आय-कर के ब्यौरे	6	जहां किसी निर्धारिती द्वारा ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए विवरणी फाइल की गई है, जिसके संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है, क्या आय पर देय कर पूर्ण संदत्त किया गया है।			हां/नहीं/लागू नहीं होता
	6.1	यदि 8 का उत्तर हां है, तो विवरणी और संदत्त कर के ब्यौरे प्रविष्ट करें			
		क	अभिस्वीकृति संख्यांक		
		ख	फाइल करने की तारीख		
		ग	संदत्त कुल कर		
तथ्यों का कथन, आवेदन का आधार और अतिरिक्त साक्ष्य	7	तथ्यों का कथन			
		संक्षेप में मामले के तथ्य (1000 शब्दों से अतधिक)			
		दस्तावेजी साक्ष्य की सूची, जिस पर अवलंब लिया गया है			

	8	क्या आय-कर प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य से भिन्न, कोई दस्तावेजी साक्ष्य फाइल किया गया है।		हां/नहीं
	8.1	यदि 8 का उत्तर हां है, तो ऐसी दस्तावेजी साक्ष्य की सूची प्रस्तुत करें		
	9	आवेदन के आधार (प्रत्येक आधार 100 शब्दों से अनधिक)		
ब्यक्ति फाइल करने के लिए आवेदन	10	आवेदन के लिए संदाय की गई फीस के ब्यौरे		
		वीएसआर कोड	संदाय की तारीख	क्र.सं.

वापसी पर संदत्त कर	11	वापसी आय पर संदत्त कर का विवरण				
		निर्धारण वर्ष	वापसी के अनुसार देय कर	आर ओ एल पर संदत्त कर	आर ओ आई की दाखिल करने की तारीख	रकम
	12	रजिस्ट्रीकृत ई-मेल आई डी/पता जिस पर निर्धारिती को नोटिस भेजी जा सके				

सत्यापन प्ररूप

मैं.....पैन-.....एतद्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि ऊपर पंक्ति 8.1 में दिए गए साक्ष्य से अतिरिक्त साक्ष्य फाइल नहीं किया गया है।

स्थान.....

.....

हस्ताक्षर

तारीख.....

[अधिसूचना सं. 26/2022/फा.सं.370142/05/2022-टीपीएल-भाग 1(भाग 1)]

शेफाली सिंह, अवर सचिव

टिप्पण :- मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का. आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 256(अ), तारीख 04 अप्रैल, 2022 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2022

G.S.R 274(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 245MA read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Income-tax (Seventh Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), after PART IX-A, the following PART shall be inserted, namely:—

‘PART IX-AA DISPUTE RESOLUTION COMMITTEE

44DAA. Constitution of Dispute Resolution Committee.— (1) The Central Government shall constitute a Dispute Resolution Committee for every region of Principal Chief Commissioner of Income-tax for dispute resolution, as provided under the Chapter XIX-AA of the Act.

(2) Each Dispute Resolution Committee shall consist of three members, as under:—

- (a) two members shall be retired officers from the Indian Revenue Service (Income-tax), who have held the post of Commissioner of Income-tax or any equivalent or higher post for five years or more; and
- (b) one serving officer not below the rank of Principal Commissioner of Income-tax or Commissioner of Income-tax as specified by the Board.

(3) The members shall be appointed by the Central Government for a period of three years.

(4) The Central Government may fix a sum to be paid as fee to a member, who is retired officer, on a per case basis, along with a sitting fee, so decided by the Board.

(5) The decision of the Dispute Resolution Committee shall be by majority.

(6) The Central Government may, by recording reasons in writing and after giving an opportunity of being heard, remove any member from the Dispute Resolution Committee.

44DAB. Application for resolution of dispute before the Dispute Resolution Committee.— (1) An application to the Dispute Resolution Committee shall be made in Form No. 34BC by the person, who opts for dispute resolution under section 245MA of the Act in respect of dispute arising from any variation in the specified order in his case and who fulfills the specified conditions.

(2) Every application in connection with resolution of dispute shall be accompanied by a fee of one thousand rupees.

44DAC. Power to reduce or waive penalty imposable or grant immunity from prosecution or both under the Act.— (1) The Dispute Resolution Committee shall, upon receipt of intimation as per clause (xix) of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the e-Dispute Resolution Scheme, 2022, and subject to such conditions as it may think fit to impose for the reasons to be recorded in writing, grant to the person who made the application for dispute resolution under section 245MA of the Act, waiver of penalty imposable or immunity from prosecution or both, in respect of the order which is the subject matter of resolution, if it is satisfied that such person has,—

- (i) paid the tax due on the returned income in full if available; and
- (ii) co-operated with the Dispute Resolution Committee in the proceedings before it.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), no immunity shall be granted by the Dispute Resolution Committee in a case where the proceedings for the prosecution for an offence have been initiated before the date of receipt of the application, as referred to in clause (i) of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the e-Dispute Resolution Scheme, 2022.

(3) An immunity granted to a person under sub-rule (1) shall stand withdrawn, if such person fails to comply with any of the conditions subject to which the immunity was granted and thereupon the provisions of the Act shall apply as if such immunity or waiver had never been granted.

44DAD. Definitions

For the purposes of this sub-chapter,—

(i) **“Dispute Resolution Committee”** means the Dispute Resolution Committee constituted under section 245MA of the Act;

(ii) the **“specified order”** in relation to a dispute under section 245MA of the Act means:—

- (a) a draft order as referred to in sub-section (1) of section 144C of the Act;
- (b) an intimation under sub-section (1) of section 143 of the Act or sub-section (1) of section 200A of the Act or sub-section (1) of section 206CB of the Act, where the assessee or the deductor or the collector objects to the adjustments made in the said order;
- (c) an order of assessment or reassessment, except an order passed in pursuance of directions of the Dispute Resolution Panel;
- (d) an order made under section 154 of the Act having the effect of enhancing the assessment or reducing the loss; or
- (e) an order made under section 201 of the Act or an order made under sub-section (6A) of section 206C of the Act and in respect of which the following conditions are satisfied, namely:—
 - (A) the aggregate sum of variations proposed or made in such order does not exceed ten lakh rupees;
 - (B) the return has been furnished by the assessee for the assessment year relevant to such order and the total income as per such return does not exceed fifty lakh rupees; and
 - (C) the order in the case of the assessee is not based on,—
 - (I) search initiated under section 132 of the Act or requisition made under section 132A of the Act in the case of the assessee or any other person; or
 - (II) survey carried out under section 133A of the Act; or
 - (III) information received under an agreement referred to in section 90 or 90A of the Act.

Explanation: For the purposes of clause (e) of sub-rule (ii), the variation in the specified order relating to default in deduction or collection of tax at source, shall refer to the amount on which tax has not been deducted or collected in accordance with the Act.

(iii) the **“specified conditions”** in relation to a person who opts for dispute resolution under section 245MA of the Act, means a person in respect of whom:—

- (A) the conditions mentioned in sub-clause (I) of clause (a) of the *Explanation* to the section 245MA of the Act are satisfied;
- (B) proceedings under the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 (22 of 2015) have not been initiated for the assessment year for which resolution of dispute is sought.

(iv) the **“specified person”** for the purposes of section 245MA of the Act shall be a person who fulfills the specified conditions.

3. In the principal rules, in the Appendix-II, after Form No.34BB, the following FORM shall be inserted, namely:—

“FORM NO. 34BC**(See rule 44DAB)****(e-Form)****Application to the Dispute Resolution Committee**

Personal Information	First Name		Middle Name	Last Name or Name of Entity		Permanent Account Number or Aadhaar Number	
						TAN (if available)	
	Flat/ Door/ Block No.			Name of Premises/ Building/ Village		Road/ Street/ Post Office	
	Area/ Locality			Town/City/District		State (Select)	
	Country (Select)		Pin Code	Phone No. with STD code/ Mobile No.	Email Address		
Order against which application is filed	1	Assessment year in connection with which the application is preferred/ Enter financial year in case Application is filed against an order where assessment year is not relevant				Assessment Year	
						Financial Year	
	2	Details of specified order against which application is filed					
		a	Section and sub-section of the Income-tax Act, 1961				
		b	Date of Order				
		c	Date of service of Order / Notice of Demand				
Application Details	3	Income-tax Authority passing the specified order					
	4	a	Amount of Income Assessed (in Rs.)				
		b	Total Addition to Income (in Rs.)				
		c	In case of Loss, total disallowance of Loss in assessment (in Rs.)				
		d	Amount of Addition/ Disallowance of Loss disputed in application (in Rs.)				
		e	Amount of Disputed Demand (in Rs.) – Enter Nil in case of Loss				
Pending Application	5	Whether an application in relation to any other assessment year/ financial year is pending in the case of the assessee with any Dispute Resolution Committee					Yes/ No
	5.1	If reply to 5 is Yes, then give following details.-					
		a	Dispute Resolution Committee, with whom the application is pending				
		b	Application No. and date of filing of application				
		c	Assessment year/ financial year in connection with which the application has been preferred				
		d	Income-tax Authority passing the specified order				
		e	Section and sub-section of the Act, under which the specified order has been passed				
		f	Date of such Order				
Details of Taxes paid	6	Where a return has been filed by the assessee for the assessment year in connection with which the application is filed, whether tax due on income returned has been paid in full					Yes/No/Not Applicable
	6.1	If reply to 8 is Yes, then enter details of return and taxes paid					
		a	Acknowledgement number				

		b	Date of filing		
		c	Total tax paid		
Statement of facts, Grounds of application and additional evidence	7	Statement of Facts			
		Facts of the case in brief (not exceeding 1000 words)			
		List of documentary evidence relied upon			
	8	Whether any documentary evidence other than the evidence produced during the course of proceedings before the Income-tax Authority has been filed			Yes / No
	8.1	If reply to 8 is Yes, furnish the list of such documentary evidence			
	9	Grounds of Application (each ground not exceeding 100 words)			
		1.			
		2.			
	3.				
Application filing details	10	Details of application Fees Paid			
		BSR Code	Date of payment	Sl. No.	Amount
Tax paid on returned income	11	Details of tax paid on returned income			
		Assessment Year	Tax due as per return	Tax paid on RoI	Date of filing of
	12	Registered email ID/ address to which notices may be sent to the assessee			

Form of verification

I, _____ PAN- _____, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief. It is also certified that no additional evidence other than the evidence stated in row 8.1 above has been filed.

Place.....

.....

Signature

Date.....”.

[Notification No. 26 /2022/[F.No. 370142/05/2022-TPL-Part 1(Part1)]

SHEFALI SINGH, Under Secy.

Note:- The principal rules were published *vide* notification S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification GSR 256(E), dated the 04th April, 2022.